झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः—झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (जुडको लि0) तथा झारखण्ड अर्बन ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (जुटकॉल) को आवंटित हिस्सा पूँजी की राशि बैंक खाता में रखने हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम—261 (b) को शिथिल करने के संबंध में।

6709
31/10/17

झारखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्रों के आधारभूत सरंचना, विकास से संबंधित योजनाओं के सूत्रण, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण से संबंधित दायित्वों के निर्वहन हेतु नगर विकास विभाग के संकल्प संख्या—2601 दिनांक—09.07.2013 के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत् झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (जुडको लि0) का गठन किया गया है।

इस क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या—1650 दिनांक—29.03.2016 के द्वारा जुडको लिमिटेड की प्रस्तावित प्रदत्त पूँजी (Paid-up-Capital) की सीमा 50,00,00,000/— रूपये कर दी गई है तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—175 दिनांक—23.11.2016 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या—176 दिनांक—23.11.2016 के द्वारा क्रमशः 16,50,00,000/— रूपये तथा 17,50,00,000/— रूपये बतौर हिस्सा पूँजी जुडको लिमिटेड को अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

2. इसी प्रकार नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या—1294 दिनांक—08.03.2016 के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत् झारखण्ड अर्बन ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (जुटकॉल) का गठन किया गया है तथा कम्पनी की न्यूनतम अधिकृत पूँजी 1000 करोड़ रूपये तथा प्रदत्त पूँजी (Paid up Capital) 500 करोड़ रूपये निर्धारित की गई है।

इस क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या—344 दिनांक—27.02.2017 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या—345 दिनांक—27.02.2017 के द्वारा क्रमशः 7.50 करोड़ तथा 7.50 करोड़ अर्थात कुल 15.00 करोड़ रूपये की हिस्सा पूँजी हेतु अनुदान की स्वीकृति दायित्वों के निर्वहन हेतु जुटकॉल लिमिटेड को प्रदान की गई।

3. जुडको लिमिटेड एवं जुटकॉल लिमिटेड को उक्त स्वीकृत हिस्सा पूँजी पी0एल0 खाते में संधारित है। पी0एल0 खाते में राशि संधारित होने के कारण कम्पनियों को अपने दैनन्दिनी कार्य के निष्पादन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा कम्पनी ससमय अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही है।

उल्लेखनीय है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (64) के तहत सरकार की हिस्सा पूँजी प्रदत्त तब मानी जाएगी, जब यह राशि उक्त कम्पनी के खाते में अंतरित हो जाए।

4. उक्त कठिनाईयों को दूर करने हेतु कम्पनियों को बतौर हिस्सा पूँजी स्वीकृत एवं पी0एल0 खाता में संधारित राशि बैंक खाते में रखने का मामला सरकार के विचाराधीन था।

5. सम्यक विचारोपरान्त झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (जुडको लि0) तथा झारखण्ड अर्बन ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (जुटकॉल) के पी0एल0 खाते से बैंक खाते में हिस्सा पूँजी रखने हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम—261 (b) में वर्णित प्रावधान 'Money withdrawn as grant-in-aid will not be kept in bank account but as a personal deposite account in the specified treasury' को शिथिल किया जाता है।

D-Rahul_rk_sankalp 107

प्रस्ताव पर दिनांक–24.10.2017 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–2 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग को इसकी दो सौ प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

30.10.17

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– JUTCOL/Fund/16/2017......6709 **राँची,दि0**–31/10/17

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.10.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– JUTCOL/Fund/16/2017..........6709 **राँची,दि0**–..........31/10/17

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/प्रबंध निदेशक, जुडको लिमिटेड/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जुटकॉल लिमिटेड/नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, सभी शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के सभी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.10.17

सरकार के प्रधान सचिव।

D-Rahul_rk_sankalp 108